शाहजहाँपुर पुलिस

112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दि0- 14.08.24

थाना रोजा पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को मय माल व एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री अशोक कुमार मीणा के कुशल निर्देशन , पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री बी.एस.वीर कुमार के कुशल प्रयवेक्षण मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 10/08/2024 की रात्रि करीब 02.00 बजे ग्राम पिपरिया मे हुई लूट की घटना के संबध मे थाना हाजा पर दिनांक 11/08/2024 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0 480/24 धारा 127(2)/309(4)/331(4)/351(3) बीएनएस 2023 में वांछित अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र मनव्वर बेग निवासी ग्राम भटपुरा रसूलपुर थाना सिधौंली जनपद शाहजहाँपुर को आज दिनांक 14/08/2024 को समय 12.10 बजे नहर पटरी के किनारे पिपरिया सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया व तलाशी से अभियुक्त मुजम्मिल उपरोक्त के पास से एक अदद नाजायज चाकू व अभियुक्त की निशादेही पर लूटा गया माल बरामद किया गया। अन्य दो वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुई है जल्द गिरफ्तार किया जाएगा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त : -

1. मुजम्मिल पुत्र मनव्वर बेग निवासी ग्राम भटपुरा रसूलपुर थाना सिधौंली जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 42 वर्ष।

वांछित अभियुक्त

1. नन्हे
2. साजिद

पंजीकृत अभियोग : -

1. मु0अ0स0 480/24 धारा 127(2)/309(4)/331(4)/351(3)/317(2) BNS व 4/25 आर्मस एक्ट

अपराधिक इतिहास :- मुजम्मिल पुत्र मनव्वर बेग

1-मु0अ0सं0 64/2023 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सिंधौली

2.मु0अ0सं0 570/2014 धारा 3/5/8 गौ हत्या अधि0 थाना सिंधौली

3.मु0अ0सं0 337/2013 धारा धारा 5/8 गौ हत्या अधि0 थाना सिंधौली

बरामदगी : -

1. एक अदद चाकू
2. 3250 /- रूपये नकद
3. दो जोड़ी पायल
4. एक हथफूल
5. एक टीका (मांग बेंदी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ0नि0 वेदपाल सिंह पुण्डीर
3. हे0का0 517 नरेश
4. का0 2123 राजेश कुमार
5. का0 2227 अरूण कुमार

गिरफ्तार पूछताछ :-

मुजम्मिल ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मै भावलखेड़ा मे शराब पीने के लिये जाता था वहीं पर करीब 15 – 20 दिन पहले मेरी **नन्हे व साजिद** नाम के व्यक्तियो से मुलाकात हुई और हम लोग साथ – साथ शराब के ठेके के पास शराब पीते थे। जहां पर हम लोगो के बीच पैसो की किल्लत की वजह से राय बनी कि किसी घटना को अंजाम दे जिससे हमारा खाना पीने का खर्चा चलता रहे जिसके बाद दिनांक 10/11.08.2024 की रात्रि मे हम तीनो गांव पिपरिया सड़क मे पहले मुनेन्द्र के घर के सामने पहुंचे तो मुनेन्द्र जाग रहा था और उसने हमारी तरफ टार्च लगायी तब हम वहाँ से निकलकर गांव से बाहर की तरफ बने घर मे कूद गये वहाँ पर भूपेन्द्र अपनी पत्नी व छोटे बच्चे के साथ एक चारपाई पर सोया हुआ था। तब हमने भूपेन्द्र को चाकू तथा तमंचा दिखाकर चारपाई पर ही उल्टा लिटा कर उसके हाथ बांध दिये थे और कमरे मे रखी अलमारी व संदूक मे रक्खे जेवर तथा रूपये निकाल कर उन मियां बीवी को एक कमरे मे बन्द कर वहाँ से चले गये थे। जिसके बाद हम लोग डर व जल्दबाजी मे थे तब उन दोनो ने मुझसे कहा कि हम अभी लखीमपुर की तरफ जा रहे है और दो या चार दिन बाद भावलखेड़ा मे ही मिलेंगे और तभी सामान का पूरा बंटवारा भी कर लेंगे। और मुझे जाते समय उन्होने मुझे दो जोड़ी पायल एक हथफूल और एक टीका तथा 2000/- रूपये दिये थे। तब मैने उनसे कहा कि मुझे और रूपयो की शख्त जरूरत है मुझे और रूपये दो बाद मे हिसाब मे लगा लेना। तब उन्होने मुझे 2000/- रूपये और दिये थे मुझे केवल 4000/- रूपये ही मिले थे जिनमे से मैने 2800/- रूपये जेवर के साथ एक पन्नी मे रखकर नहर की पटरी के किनारे मिटटी मे दबाकर पहचान के लिये उसके ऊपर ईंट रख दी थी और बाकी 1200/- रूपये मैने अपने पास रख लिये थे सुबह के समय खेतो मे भूपेन्द्र व उसके परिवार वालो ने मुझे पहचान लिया था इसलिये मै इधर – उधर छिप रहा था। साहब 1200/- रूपयो मे से 750/- रूपये खर्च हो गये थे बाकी रूपये व माल जो मुझे मिला था मैने आपको बरामद करा दिया है और जो चाकू मै अपनी सुरक्षा के लिये अपने पास रखता था वह भी आपने मेरे पास से बरामद कर लिया है। उन दोनो के बारे मे मुझे अन्य कोई जानकारी नही है सिर्फ मै उनके नाम ही जानता था जो मैने आपको बता दिये है।